20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5 रु. भारत पाँच रुपये

5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/1798

88

# ...ालय माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्र. क्र.निगरानी– /पीबीआर/18रायसेन

गणेशराम आ0 श्री लालचन्द कुशवाह
निवासी वार्ड न0 4 सांची रोड रायसेन
तहसील एवं जिला रायसेन म0प्र0 .......आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा –:
अनुविभागीय अधिकारी महोदय
रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 ...........अनावेदक

## म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदक विद्वान आयुक्त महोदय भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 153/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24/10/16 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1798

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-12-2018 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश को आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिनांक 31-12-16 को नोट किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी का दिनांक 9-7-17 दर्शाया गया है, जो कि असत्य है । स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी होने के उपरांत भी आवेदक द्वारा दिनांक 27-2-18 को विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है । न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-<br>"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"<br>उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |